Witness No--**01**--for --**आवेदक क्र.–1 स्वयं**---Deposition taken on **08/12/2023** day of **शुक्रवार**–Witness's apparent age .**35** y.

States on affirmation –**शपथपूर्वक**– my name is **– श्रीमती संतोषी विश्वकर्मा** wife of **–स्व. अविनाश विश्वकर्मा** occupation **–कृषि** address**– ग्राम साल्हेभाठ , थाना केरेगांव, जिला धमतरी (छ.ग.)**

.....

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री बसंत जैन अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण

1. आवेदक क्रमांक 2 मेरा पुत्र है तथा आवेदक क्रमांक 3 व 4 क्रमशः मेरे सास व ससुर हैं। मृतक अविनाश मेरा पति था। मेरा पति कांकेर से अपने दुपहिया वाहन क्रमांक सीजी 05 एडी 0621 से वापिस ग्राम साल्हेभाठ की ओर आ रहा था। जब मेरा पति धमतरी नगरी मार्ग के बांसपारा कुकरेल से पहले सांई कृपा राईसमिल के पास पहुंचा था उसी समय नगरी तरफ से कार क्रमांक सीजी 05 एस 3479 का चालक पीछे तरफ से आया और मेरे पति के वाहन को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। घटना लगभग 04:00 बजे के आसपास की है।

2. घटना की सूचना पुलिस वालों के द्वारा मुझे व मेरे परिवार वालों को प्राप्त हुई थी। उसके बाद मेरे पति को वहां उपस्थित लोगों के द्वारा धमतरी के श्रीराम अस्पताल में भर्ती किया गया था। मेरे पति के ईलाज के दौरान दिनांक 11.08.2022 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस वाले आये लिखा पढ़ी किये तथा पोस्टमार्टम कराये। पुलिस वाले बोले थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट दर्ज करेंगे। उसके बाद पुलिस वाले मेरे पति के शव को दिये उसके बाद हम लोग मेरे पति का दाह संस्कार व मृत्युभोज आदि कार्य करवाये। अंतिम क्रियाकर्म में लगभग 50000/– रूपये खर्च हुये थे।

3. दुर्घटना के समय मेरा पति मेरे से एक वर्ष बड़ा था। मेरा पति कांकेर में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था वह प्रतिवेदन 600/–रूपये आय प्राप्त करता था। उस आय से हमारे परिवार का खर्चा चलता था। उक्त दुर्घटना कार चालक के लापरवाहीपूर्वक कार चलाने के कारण कारित हुई है।

क्रमशः–2–

4. मैंने अपने दावे के समर्थन में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी जिला धमतरी के न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 587/2022 शासन विरूद्ध जितेन्द्र सोनी के दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें अभियोग पत्र **प्र.ए.–1**, एफआईआर **प्र.ए.–2**, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना **प्र.ए.–3** एवं **प्र.ए.–4**, अपराध विवरण फार्म **प्र.ए.–5,** नक्शा पंचायतनामा **प्र.ए.–6,** शव परीक्षण आवेदन व शव परीक्षण प्रतिवेदन (कुल 3 प्रति में) **प्र.ए.–7**, संपत्ति जप्तीपत्रक **प्र.ए.–8 ,** गिरफ्तारी पत्रक **प्र.ए.– 9**, सुपुर्दगी आदेश **प्र.ए.–10** सम्मिलित है । हमें दावा आवेदन अनुसार अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एन.के. देवांगन अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र.–1 व 2</u>

5. यह कहना सही है कि मैंने घटना होते हुये नहीं देखा है इस कारण मैं यह नहीं बता सकती हूं कि दुर्घटना किसकी लापरवाही के कारण घटित हुई है। यह कहना सही है कि मैंने मेरे पति के कार्य एवं आय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि दुर्घटना के समय मेरा पति हेलमेट लगाया था या नहीं।

6. यह कहना सही है कि आवेदक क्रमांक 3 एवं 4 हम लोगों से अलग निवास करते हैं। यह कहना गलत है कि हम लोगों का परिवार कृषि से प्राप्त होने वाले आय से अपना भरण पोषण करते हैं। यह कहना गलत है कि मैंने झूठी जानकारी देकर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कहना गलत है कि दुर्घटना मेरे पति की लापरवाही के कारण घटित हुई है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस.बी. गुप्ता अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र.–3 बीमा कंपनी</u>

7. मुझे मेरे पति को ठोकर मारने वाले गाड़ी का नंबर तीन दिन बाद मालूम हो गया था। पुलिस वाले आकर मुझे गाड़ी का नंबर बताये थे। हम लोग रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाना गये थे पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट लिखेंगे बोले इसलिए हम डेढ़ माह बाद रिपोर्ट लिखवाये हैं। केरेगांव के पुलिस वाले हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट लिखेगें बोले थे।

क्रमशः–3–

8. मैं राजमिस्त्री किसे कहते है यह नहीं जानती हूं। यह कहना गलत है कि मेरा पति गांव में ही रहकर मिस्त्री काम करता था, स्वतः कहती है कि कांकेर में रहकर काम करता था। यह कहना सही है कि जब मेरे पति को काम रहता था तो वह कांकेर में रहता था और काम नहीं रहने पर गांव में ही रहता था। यह कहना सही है कि मेरे पति को महिने में 15–20 दिन काम मिल जाता था। मेरे पति मुझे महिने में एक दो बार आकर घर खर्च के लिए पैसे देता था।

9. यह कहना सही है कि मेरे पति को ज्यादा आय होने पर ज्यादा पैसा देता था और कम आय होने पर कम पैसा देता था। मेरे गांव में सरपंच व सचिव हैं। मेरे गांव में ग्राम पंचायत भी है। मेरा गरीबी रेखा का कार्ड बना हुआ है। मुझे 1 रूपये किलो के हिसाब से 35 किलोग्राम चांवल मिलता है। मेरा राशन कार्ड बने एक वर्ष हो गया है। यह कहना सही है कि मैंने अपने गांव के सरपंच या सचिव से मेरे पति के द्वारा मिस्त्री का काम करने के संबंध में कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। यह कहना सही है कि मेरा एक पुत्र है इसके अतिरिक्त और कोई संतान नहीं है।

10. मेरे पति के पास मोटरसायकल चलाने का लायसेंस था, साक्षी स्वतः कहती है कि वह दुर्घटना के समय गुम गया था। मैंने लायसेंस गुम होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया है। मैंने मेरे पति के लायसेंस को देखा था। यह कहना सही है कि मैंने अपने पति के आय को अंदाज से बताई हूं। यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लालच में हम लोग पुलिस के साथ सांठगांठ का झूठे वाहन को पकड़ाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

11. यह कहना सही है कि गाड़ी का नंबर मुझे डेढ़ माह बाद जानकारी होने पर मैंने पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाने गई थी।

साक्षी को उसका कथन पढ़कर सुनाया गया।
उसने सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(के.एल. चरयाणी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
धमतरी (छ.ग.)

सही/–
(के.एल. चरयाणी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
धमतरी (छ.ग.)